तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज़	नम्बर व अहकाम व हुक्म की तामील
11/2/17	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में तलब की गई। पक्षकारान उप0। प्रति0 सं0 01 की ओर से वकील नितेश चौहान ने वकालतनामा, मूलवाद में जवाब प्रा0 पत्र पेश किया, जवाब प्रा0 पत्र की प्रति वकील लोपल को दिलायी गई। जवाब प्रा0 पत्र शा0 मि0 हो। वकील नितेश चौहान ने प्रार्थिया राजकोर की ओर से प्रस्तुत प्रा0 पत्र O1 R10 (2) CPC को Not-Press किया है। वकील प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रा0 पत्र O1 R10 (2) CPC को Not Press करने से प्रा0 पत्र O1 R10 (2) CPC खारिज किया जाता है। बहस प्रा0 पत्र सुनी गई। वकील प्रति0 ने जवाब प्रा0 पत्र में कथन किया कि प्रा0 पत्र के पद सं0 01 में वर्णित वंशावली सही है व उसमें जवाब है कि राजस्व भूमि के अनुसार सही है प्रति0 सं0 1 का हक हिस्सा है जिस पर अपनी जमीन से भी काबिज काश्त करता है पद सं0 3, 4, 5, स्वयं गलत होने से अस्वीकार है। लोपल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमावें। वकील लोपल ने बहस में कथन किया कि पहाड़गंज हल्का राजड़ियावास मौजा अमरपुरा में लोपल व प्रति0 की खातेदारी में मुल्के काश्त की भूमि है। मूल वाद का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को पुष्ट किया जाने की प्रार्थना की। इसके समर्थन में वकील लोपल ने न्यायिक दृष्टान्त RRD May, 2004 पेज 239 पेश किया। वकील प्रति0 ने बहस में जाहिर किया कि जब इनके मूल वाद में वाद की प्रार्थना अनुसार भागीदारी किये जाने का निवेदन मूल वाद के जवाब में किया है जब मूल वाद भागीदारी वाद प्रार्थना अनुसार किया जाता है तो अन्तरिम अस्थाई	

प्रार्थनापत्र O1 R10 (2) का निस्तारित

[signature]

नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निषेधाज्ञा के प्रा०पत्र को पुरस्कृत किया जाना उचित नहीं है। जिस पर यह प्रा०पत्र खारिज करावे। इसके समर्थन में वकील प्रतिवादी ने न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) DNJ (Raj) पेज 781 व 2016 (3) RLW Pg. 82 पेश किया। प्रस्तुत प्रा०पत्र मय दस्तावेजात एवं जवाब प्रा०पत्र का गहनता से अध्ययन कर बहस वकलाय एवं न्यायिक दृष्टान्त पर गौर मनन किया गया। प्रस्तुत कायलात व मौ-म्याशात अभिलेख से स्पष्ट रगतेदार है लिहाजा इस प्रा० पत्र से दिनांक 11/12/15 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक पुरस्कृत किया जाता है। पत्रावली कौनसल शुमार होकर नम्बर से कम है। वाद तकमील पाया मूल वाद के साथ नत्थी हो। SDO	